न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

/14

तारीख रजू–26 / 03 / 14

जाट निवासी बहरावण्डाकलां तहसील खण्डार। ----- अपीलार्थी

बनाम

नायब तहसीलदार,बहरावण्डाकलां।

------ रेस्पो0

निर्णय

दिनांक–10 / 07 / 2015

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार,बहरावण्डाकलां द्वारा मिसल संख्या 794 / 12 मे पारित आदेश /12 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बहरावंडाकलां नम्बर 38 / 1 रकवा 3.00 बीघा किस्म गे.मु.चरागाह पर संवत 2069 खरीफ से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से खडी फसल की नीलामी, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त उभय पक्ष सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन ज्ञात हुआ है कि अपीलार्थी ने नायब तहसीलदार,बहरावण्डाकलां की 794 / 12 मे पारित आदेश दिनांक 10 / 09 / 12 के विरूद्व पूर्व मे अपील प्रस्तुत अदालत हाजा मे अपील संख्या 355 / 12 दिनांक 19 / 12 / 12 को दर्ज हुई है /04 / 13 को अदालत हाजा द्वारा किया जा चुका है जिसकी प्रमाणित मातहत की पत्रावली मे उपलब्ध हैं। अपीलार्थी ने पुनः उसी निर्णय की न्यायालय मे प्रस्तुत करदी है जो रेसजुडिकेटा की श्रेणी मे आती है। अतः प्रस्तुत अपील रेसजुडिकेटा की श्रेणी मे आने के कारण रेसजडिकेटा के बिन्दु की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 10 / 07 / 2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर